भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2307
10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषयः हरित क्रांति का महत्व

2307. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या भारत को हरित क्रांति के महत्व के बारे में व्यापक अनुभव है, यद्यपि 1960 के दशक में हरित क्रांति की नींव रखी गई थी, परन्तु इसका दोहन नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज, सस्ता ऋण और खरीद के माध्यम से सुनिश्चित मूल्य प्रदान करके आपूर्ति पक्ष की पहल की व्यवस्था की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं/परिणाम प्राप्त हुए हैं; और
(ग) इनमें सब्सिडी के ईंधन से प्रेरित रासायनिक उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे मृदा क्षरण हो रहा है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1960 के दशक में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए चावल और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी। खाद्य उत्पादन वर्ष **1961 में 72.3 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 332.30 मिलियन मीट्रिक** टन हो गया।

भारत हरित क्रांति के घटकों जैसे पादप प्रजनन, सिंचाई विकास और कृषि रसायनों के वित्तपोषण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को अपनाकर अपने हरित क्रांति कार्यक्रम को जारी रखे हुए है।

हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव हैं:

· **फसल उत्पादन में वृद्धि**: गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों के तहत फसल क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक बन गया।
· **आत्मनिर्भरता:** अनाज का आयात कम हो गया क्योंकि भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया, बल्कि भारत ने कई बार निर्यात करना शुरू कर दिया।
· **उपलब्धता:** खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता में वृद्धि हुई है।
· **किसानों को लाभ:** कृषि उत्पादकता में सुधार के साथ किसानों की आय का स्तर बढ़ गया। इसने पूंजीवादी खेती को बढ़ावा दिया क्योंकि बड़े भूमि मालिकों को सबसे अधिक लाभ हुआ।
· **औद्योगीकरण:** खेतों के बड़े पैमाने पर मशीनीकरण ने ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, कंबाइन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, पंपिंग सेट आदि जैसी मशीनरी की मांग पैदा की। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों आदि की मांग में भी काफी वृद्धि हुई।
· **कृषि उद्योग:** कृषि-आधारित उद्योगों को जन्म देने वाले विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में कई कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाने लगा।
· **रोजगार:** श्रम शक्ति की मांग ने ग्रामीण रोजगार में वृद्धि की, और एक ही समय में औद्योगिक कार्यबल में वृद्धि हुई है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का विचार है कि हरित क्रांति के लाभों का दोहन करना एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय दो छत्रक योजनाओं - कृषोन्नति योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्यों को सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें हरित क्रांति के घटक शामिल हैं। ये योजनाएं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और राष्ट्रीय उर्वरता परियोजना, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन, पौध संरक्षण और पादप संगरोध पर उप-मिशन, कृषि विस्तार पर उप-मिशन, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि यंत्रीकरण संबंधी उप-मिशन, एकीकृत कृषि गणना और सांख्यिकी स्कीम, एकीकृत कृषि सहयोग स्कीम, एकीकृत कृषि विपणन स्कीम और राष्ट्रीय बांस मिशन हैं।

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत किसानों को चावल और गेहूं, बीज उत्पादन और वितरण, पोषक तत्व प्रबंधन और मृदा उपचार, एकीकृत कीट प्रबंधन, फसल प्रणाली-आधारित प्रशिक्षण, कृषि यंत्रीकरण और उपकरण, सिंचाई उपकरणों, स्थल विशिष्ट गतिविधियों और फसलोपरांत और विपणन सहायता आदि जैसे संपत्ति निर्माण पर क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

कृषि राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें राज्यों में कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए उचित उपाय करती हैं। उर्वरक संबंधी मामले, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा देखे जाते हैं। तथापि, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। वर्ष 2013-14 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अभिन्न अंग सहकारिता मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और मत्स्य पालन विभाग का बजट आवंटन केवल 30,223.88 करोड़ था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का बजट **2024-25 में 1,32,469.86 करोड़ रुपये है**।

यदि संतुलित एवं विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाए तो उर्वरकों का मृदा की उर्वरता पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत सरकार 4आर दृष्टिकोण यानी सही मात्रा, सही मात्रा के साथ पौधों के पोषक तत्वों के अकार्बनिक और जैविक दोनों स्रोतों (खाद, जैव उर्वरक, हरी खाद, (इन-सीटू) खेत में फसल अवशेष की रीसाइक्लिंग आदि) के संयुक्त उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की सिफारिश कर रही है। रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए समय, सही तरीका और सही प्रकार का उर्वरक। इसके अलावा, विभाजित अनुप्रयोग, नीम लेपित यूरिया सहित धीमी गति से निकलने वाले उर्वरकों के उपयोग और फलियां वाली फसलें उगाने की भी वकालत की जाती है।

भारत सरकार किसानों द्वारा जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है, योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i) फरमेंटेड जैविक खाद (एफओएम)/तरल फरमेंटेड जैविक खाद (एलएफओएम) और फॉस्फेट रीज जैविक खाद (पीआरओएम) की बिक्री के लिए कम्प्रैस्ड बायो गैस संयंत्रों को बाजार विकास सहायता (एमडीए)।
(ii) परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास (एमओवीसीडीएनईआर)।

आईसीएआर ने कृषि उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए विभिन्न फसलों और मृदा के प्रकारों के लिए विशिष्ट जैव उर्वरकों की उन्नत और कुशल किस्में विकसित की हैं। इसके अलावा, उर्वरकों के विभाजित अनुप्रयोग और प्लेसमेंट, धीमी गति से नाइट्रोजन रिलीज करने वाले

उर्वरक और नाइट्रीकरण अवरोधकों का उपयोग, दलहनों की खेती और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों (आरसीटी) के उपयोग की भी वकालत की जाती है। आईसीएआर इन सभी पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण देने के साथ, फ्रंट-लाइन प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित करता है।

*****